

17, 18, 19, व 22 की तरफ से इकबाली जवाब दावा पेश होने एवं प्रतिवादी संख्या 24 केवल परफोर्मा पक्षकार होने की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7, 10, 13, 20, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 17, 18, 19, व 22 की तरफ से प्रतिवादी संख्या 24 केवल परफोर्मा पक्षकार होने की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7, 10, 13, 20, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 17, 18, 19, व 22 की तरफ से प्रतिवादी संख्या 12, 14, 15, 16, 21 एवं 23 के विरुद्ध एक पक्षीय वाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073-76 मौजा गुजरियावास के खाता प्रदर्श-1 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7, 10, 13, 20, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 17, 18, 19, व 22 की तरफ से वकील वादी जवाब दावा पेश होने एवं प्रतिवादी संख्या 12, 14, 15, 16, 21 एवं 23 के विरुद्ध एक पक्षीय वादी होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।


बहस वकूलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 7, 10, 13 व 20 एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4, 6, 8, 9, 11, 17, 18, 19, व 22 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध प्रमाणों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंशिकतः होती है। तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नहीं किया गया है। लेकिन पत्रावली के वाद से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 23 ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग हे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पेश किय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित होता है।

**- : आदेश :-**

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री प्रकार डिक्री किया जाता है।

दी संख्या 1 व 2 भवरूराम व जैताराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गुजरियावास के खसरा नम्बर 1127 रकबा 2.3310 में से रकबा 0.77699952 हैक्टेयर हिस्सा रखा जाकर हखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

दी संख्या 3 सालगराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गुजरियावास के खेत खसरा नम्बर 1127 रकबा 2.3310 में से रकबा 0.77699952 हैक्टेयर हिस्सा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाति

  
सहायक क्लर्क  
(पत्रावली) जाल

